महत्वपूर्ण

पत्रांक –3/एम० –04/2017सा०प्र०1027/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह, भा0प्र0से0,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।

पटना, दिनांक 27.1., 2017

विषयः– राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवा/संवर्ग के लिए सेवा/संवर्ग नियमावली के शीघ्र गठन के संबंध में।

महाशय,

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या– 1757 दिनांक– 30.07.2005 द्वारा फिटमेंट कमिटी की अनुशंसाओं के आलोक में केन्द्र के अनुरूप सेवा/संवर्ग नियमावलियों के गठन हेतु प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के संयोजकत्व में प्राधिकृत समिति का गठन करते हुए सभी विभागों से अपने अधीन की सभी सेवाओं/संवर्गों के लिए सेवा/संवर्ग नियमावली का गठन कर लेने का निदेश परिचारित है। तत्पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–640 दिनांक– 17.03.2006, पत्रांक–844 दिनांक– 01.04.2006, पत्रांक–1160 दिनांक– 27.04.2006, पत्रांक–2392 दिनांक– 25.08.2006 एवं पत्रांक–3962 दिनांक– 11.10.2010 द्वारा इस संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश देते हुए स्मारित किया गया। इस संदर्भ में समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ है कि विभिन्न विभागों के अधीन सभी सेवा/संवर्ग/पद के लिये सेवा नियमावलियों के गठन का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया जा सका है। अभी भी विभिन्न विभाग के द्वारा सेवा नियमावलियों के गठन के प्रस्ताव यदा–कदा उपस्थापित किये जा रहे हैं। यह इस तथ्य का द्योतक है कि विभागों के द्वारा सभी सेवाओं की नियमावली समय पर तैयार करने के कार्य को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। इस कारण से नियुक्ति/प्रोन्नति प्रक्रिया बाधित होती है एवं न्यायिक वाद का मामला बन जाता है। यह स्थिति स्वीकार योग्य नहीं है। अतः सभी सेवाओं की नियमावलियों को निम्नलिखित समय–सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः निदेश दिया जाता है कि

(i) अपने विभाग के अधीन के ऐसे सभी पद जिनकी सेवा नियमावली का गठन कर लिया गया है अथवा नहीं किया गया है, से संबंधित एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन

एक सप्ताह के भीतर सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(ii) अपने विभाग के अधीन के ऐसे सभी पद, जिनकी सेवा नियमावली का गठन अभी तक नहीं किया जा सका है, उसके लिये विहित प्रक्रिया के तहत नियमावली प्रारूपित कर, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के संयोजकत्व में गठित प्राधिकृत समिति के विचारार्थ अगले पन्द्रह दिनों के अन्दर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय। यह प्रक्रिया असीमित काल तक नहीं चलनी चाहिए।

(iii) प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदित प्रारूप नियमावली को अधिसूचित करने संबंधी अग्रेतर कार्रवाई भी एक माह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय। उपर्युक्त समय सीमा के पश्चात् सेवा नियमावली के नये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाय।

विश्वासभाजन

27/1/17

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार

D: sec-3/hmeshwar singh/prdhikrit samit/3-m-4-2017